

प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति प्रबंधकों की भर्ती हेतु विज्ञापन

जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन, राजनांदगांव के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक वनोपज समितियों में प्रबंधकों के पद भर्ती हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित हैं :-

क्र.	समिति का नाम जहां भर्ती होना है	पद का नाम	संख्या	आरक्षण वर्ग	वर्तमान दर पर परिलब्धि प्रति माह	फार्म प्राप्त करने तथा जमा करने का स्थान
1	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति टाटेकसा, तहसील मानपुर, जिला-राजनांदगांव	प्रबंधक	01	अनारक्षित	रु. 10000.00	जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
2	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, भोजटोला, तहसील मोहला, जिला-राजनांदगांव	प्रबंधक	01	अनारक्षित	रु. 10000.00	जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

यह पद अंशकालिक है स्थायी पद नहीं है । प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति टाटेकसा एवं भोजटोला के अंतर्गत आने वाले तेन्दूपत्ता संग्राहक ही दिनांक 12.03.2018 से दिनांक 28.03.2018 तक कार्यालयीन समय में फार्म प्राप्त कर सकते हैं तथा भरा हुआ फार्म दिनांक 31.03.2018 तक जमा कर सकते हैं । साक्षात्कार नहीं होगा, केवल अभ्यर्थी का चयन मेरिट के अनुसार किया जावेगा । किसी भी तरह की आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा ।

नियुक्ति हेतु अनिवार्य निर्धारित योग्यतायें :-

- (1) आवेदक को न्यूनतम हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए, किंतु स्नातक आवेदकों को चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी ।
- (2) आवेदक को संबंधित प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा । निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जावेगा ।
- (3) आवेदक को संबंधित संस्था क्षेत्र के ऐसे संग्राहक परिवार का सदस्य होना चाहिए जिसने नियुक्ति के पूर्व के पांच वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 गड्डी तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य किया हो । संग्राहक कार्ड का सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ लगाना अनिवार्य है ।
- (4) आवेदक को मान्यता प्राप्त संस्था से 01 वर्षीय कम्प्यूटर में डिप्लोमा (DCA OR PGDCA) होना चाहिए । प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ लगाना अनिवार्य है ।
- (5) आवेदक की आयु 1 जनवरी, 2018 को 18 से 35 वर्ष होना चाहिए । शासन के नियमानुसार अनु. जाति/अनु. जनजाति/महिला/भू. पू. सैनिक को आयुसीमा में छूट प्राप्त होगी ।
- (6) आवेदक मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो ।
- (7) आवेदक अन्य किसी भी सेवा नियोजन का गबनशुदा न हो, आर्थिक अथवा अन्य किसी अपराध के लिए कार्यवाही जारी/पंजीकृत न हो, किसी न्यायालय से सजायाफ्ता न हो ।
- (8) आवेदक छ.ग.सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी संचालक का परिभाषित संबंधी न हो ।

- टीप :- 1. भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं प्रबंधक भर्ती फार्म जिला यूनियन कार्यालय परिक्षेत्राधिकारी दक्षिण मानपुर एवं पानाबरस से प्राप्त करें ।
2. उपरोक्त कंडिका 01 से 08 तक के निर्धारित अर्हता ही आवेदन करें एवं आवश्यक अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें । अभिलेख संलग्न नहीं करने पर आवेदन स्वमेव निरस्त माना जावेगा, किसी भी तरह का अपील अथवा आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा ।

प्राथमिक प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित.

प्रबंध संचालक

जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित,
राजनांदगांव (छ.ग.)